



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 124390

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत अर्ज़ी संख्या - 18938 वर्ष 2026

सूरज बिंद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : प्रमोद कुमार मिश्र, सुनील कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामा रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील कुमार मिश्रा और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री राधे श्याम की दलीलें सुनी गईं और रिकॉर्ड देखा गया।
3. सबसे पहले, विद्वान ए.जी.ए. ने बताया है कि पहले सूचना देने वाले व्यक्ति को नोटिस भेज दिया गया है।
4. यह ज़मानत अर्ज़ी, मुकदमा अपराध संख्या 83/2026 (धारा 137 (2), 87, 65(1) बीएनएस और पाँक्सो एक्ट की धारा 3/4(2); थाना कोतवाली कटरा, ज़िला मिर्जापुर) में विचारण चलने के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की मांग के साथ दायर की गई है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ कोई भी दोषी ठहराने वाला सबूत नहीं है। यह भी बताया गया है कि पीड़िता को बरामद कर लिया गया है और उसने डॉक्टर के सामने कहा है कि उसका आवेदक के साथ प्रेम संबंध था। रेडियोलॉजिकल जांच के अनुसार उसकी उम्र 17 से 18 साल पाई गई है और उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं मिली है। आवेदक 01.04.2026 से जेल में बंद है। अगर उसे ज़मानत मिल जाती है, तो वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
6. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने ज़मानत की अर्ज़ी का ज़ोरदार विरोध किया, लेकिन ऊपर बताई गई बातों को गलत नहीं ठहरा सके।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. एफ.आई.आर. के अनुसार, पीड़िता ने बीएनएस की धारा 180 और 183 के तहत अपने बयान में कहा है कि वह लगभग 13 साल की है और पिछले एक हफ्ते से सिलाई सीखने जा रही थी; तभी आरोपी ने उसे अपनी बाइक पर बहला-फुसलाकर कच्छवा ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

8. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, सबूतों और आरोपी की भूमिका पर विचार करते हुए; साथ ही जेलों में भीड़ और विचारण न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए; और **कपिल वधावन बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम यूपी राज्य (2024 एससीसी ऑनलाइन सभी 6765)** मामले में जमानत देने के संबंध में इस न्यायालय की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए—और मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना—मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

9. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

10. ऊपर बताए गए अपराध में शामिल आवेदक - **सूरज बिंद** को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक पर्सनल बॉन्ड और दो जमानतदार पेश करे, और साथ ही निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके, और न ही वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए ईमानदारी से विचारण/जांच में सहयोग करेगा।

(iii) ज़मानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा भरे गए बॉन्ड की शर्तों के अनुसार पेश होगा।

11. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

12. बॉन्ड स्वीकार करने से पहले, संबंधित न्यायालय को आवेदक और ज़मानत देने वालों की पहचान, स्टेटस और निवास के प्रमाण की पुष्टि करनी चाहिए। आवेदक और ज़मानत देने वालों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की भी संबंधित न्यायालय द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए।

13. इसके अलावा यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 'बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम' (बीओएमएस) के ज़रिए संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजे।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. ज़मानत देने के लिए नीतिगत रणनीति मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 31.01.2023 के आदेश (जो (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किया गया है) का पालन करते हुए, ऑफिस को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक कॉपी संबंधित जेल सुपरिटेंडेंट के ज़रिए ईमेल या ई-प्रिज़न पोर्टल से 24 घंटे के अंदर आवेदक को भेजे।

1 जून, 2026

प्रियंका

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।